

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : - 1797 / 270

दिनांक : - 15-07-13

चूंकि बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बसाढ़, प्रगना - रत्ती, थाना - वैशाली, थाना नं० - 43 जिला - वैशाली में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् अभिषेक पुष्करणी वैशाली के निकट पर्यटन विकास हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त ग्राम - बसाढ़ के भीतर कमोवेश मानक माप से 05.00 एकड़ के बराबर होता है, एक भूखण्ड अपेक्षित है, जिसका खेसरा संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

खेसरा अनुसूचि

पूर्ण खेसरा सं०- 4770,4771,4772,4773,4774,4800,4801,4802,4803,4804,4805,4806,4807,
4808 एवं 4809

अंश खेसरा सं० - 4769,4810,4775,4777,4783 एवं 4784

सीमा अनुसूचि (चौहद्दी)

उत्तर : - सड़क

पूरुब : - पूर्ण खेसरा सं० 4812, अंश खेसरा सं० 4810 पूर्ण खेसरा सं० 4814, 4815,
4816, 4817, 4820 एवं 4821

दक्षिण : - पूर्ण खेसरा सं० 4799 एवं अंश खेसरा सं० 4784

पश्चिम : - अंश खेसरा सं० 4769 पूर्ण खेसरा सं० 4768 अंश खेसरा सं० 4775, 4777,
4783 एवं 4784

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1/1894 की धारा 4 में संशोधन अधिनियम 11/1961 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका उससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के प्रारम्भिक अनुसंधान के समय लगे विभाग के पदाधिकारियों और उनके स्टाफ को प्राधिकृत करते हैं कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा-(2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों को समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17/4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने इन परियोजना की तत्परता (Urgency) को देते हुए निश्चय किया गया है कि इन भू-अर्जन की कार्रवाई में भू-अर्जन अधिनियम की धारा -5-ए की कार्रवाई लागू नहीं होगी।



बिहार राज्यपाल के आदेश से

201

सरकार के ~~अ~~सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापंक : 1797/270

दिनांक : 15-07-13

- प्रतिलिपि : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ (सीडी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने कृपा की जाय ।
- प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।